

श्रीमान संवाददाता
दैनिक भास्कर
करौली

विषय :- विज्ञापन प्रकाशन बाबत।

श्री कैलादेवी मन्दिर ट्रस्ट द्वारा निम्न आमंत्रित निविदा सूचना करौली संस्करण में न्यूनतम दर पर विज्ञापन प्रकाशित करने का श्रम करें :-

निविदा-सूचना

श्री कैलादेवी मन्दिर ट्रस्ट में निम्नांकित सिविल कार्य हेतु योग्य एवं अनुभवी संवेदकों से दिनांक 29.10.2021 सांय 3.00 बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनु.लागत	प्रतिभूति राशि @2%
1	7 दुकानों का नवीनीकरण	6.73 लाख	13,460 /-
2	New Building Driveway & Pathway	2.47 लाख	4,940 /-
3	न्यू बिल्डिंग जनरेटर प्लेटफार्म	1.80 लाख	3,600 /-
4	मन्दिर परिसर में महिला एवं पुरुष शौचालय निर्माण कार्य।	17.81 लाख	35,620 /-
5	पोस्ट ऑफिस के सामने महिला एवं पुरुष मूत्रालय निर्माण कार्य।	10.05 लाख	20,100 /-

उक्त कार्यो से सम्बन्धित विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते वेबसाईट www.kailadevitemple.com पर या कार्यालय समय में कभी भी देख सकते हैं। प्रत्येक निविदा हेतु नॉन रिफण्डेबल आवेदन शुल्क 1000/-रु. नगद एवं प्रतिभूति राशि का ड्राफ्ट "श्री कैलादेवी मन्दिर ट्रस्ट" देय कैलादेवी होगा।

क्रमांक 2367 + 02373
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य परिचालन अधिकारी
2. वरिष्ठ प्रबन्धक / प्रशासन प्रबन्धक
3. कार्यकारी अधिकारी / लेखाधिकारी
4. लेखाशाखा / जलकल प्रभारी / पत्रावली

चन्द्रकान्त कुडतकर
प्रबन्धक प्रशासन
श्री कैलादेवी टैम्पल ट्रस्ट
दिनांक 18/12/21

चन्द्रकान्त कुडतकर
प्रबन्धक प्रशासन
श्री कैलादेवी टैम्पल ट्रस्ट

उक्त कार्यों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें :-

1. प्रत्येक कार्य के लिए पृथक पृथक निविदा प्रपत्र भरना होगा। निविदा फार्म का शुल्क 1000/-रु. होगा जो नॉन रिफण्डेबल है।
2. निविदा भरने से पूर्व मौके का निरीक्षण कर लिया जावे।
3. निविदा फार्म एवं जी शिडयूल मन्दिर ट्रस्ट कार्यालय से दिनांक 19.10.2021 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 29.10.2021 को सांय 3.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में 1000/-रु. नकद राशि जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।
4. निविदाएं दिनांक 29.10.2021 को सांय 5.00 बजे तक जमा की जा सकती हैं।
5. प्राप्त निविदाएं दिनांक 30.10.2021 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
6. निविदा के साथ प्रतिभूति राशि का ड्राफ्ट जो "श्री कैलादेवी मन्दिर ट्रस्ट" के नाम हो एवं कैलादेवी में देय हो संलग्न कर बन्द लिफाफे में जमा कराना होगा। ड्राफ्ट के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
7. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा यदि कोई कर देयता बनती है तो वह संवेदक द्वारा जमा करानी होगी।
8. निविदा समिति द्वारा बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार होगा।
9. श्रम विभाग द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निर्धारित उपकर संवेदक द्वारा देय होगा।

चन्द्रकान्त कुडतकर

प्रबन्धक प्रशासन

श्री कैलादेवी टैम्पल ट्रस्ट